न्यायालय :- उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ (जयपुर)
प्रार्थना पत्र संख्या - 180/2017

1- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ़ जिला - जयपुर (राज०)

.... प्रार्थी

बनाम

1- छोटू पुत्र कालू मीणा (मृतक) जाति मीणा निवासी ग्राम मेंहगी तहसील जमवारामगढ़ (जयपुर)
2- भागचन्द पुत्र छोटू, छोटी देवी पत्नि छोटू जाति मीणा निवासी ग्राम मेंहगी तहसील जमवारामगढ़ जिला- जयपुर
3- रेवड़ पुत्र रामनारायण (मृतक) जाति मीणा निवासी ग्राम मेंहगी तहसील जमवारामगढ़ जिला- जयपुर
4- महादेव पुत्र रेवड़ (मृतक) जाति मीणा निवासी ग्राम मेंहगी तहसील जमवारामगढ़ (जयपुर)
5- पप्पू, रामजीलाल, रमेश, रोशन पुत्रान महादेव गंगा देवा पत्नि महादेव जाति मीणा निवासी ग्राम मेंहगी तहसील जमवारामगढ़ (जयपुर)
6- मंगला, रामसहाय पुत्रान मांगू बलाई (मृतक) जाति बलाई निवासी ग्राम मेंहगी तहसील जमवारामगढ़ जिला -जयपुर
7- रामचन्द्र, लक्ष्मीनारायण पुत्रान रामसहाय जाति बलाई निवासी मेंहगी तहसील जमवारामगढ़ जिला- जयपुर
8. भागोती पत्नि मांगूलाल बलाई, खुण्डाराम उर्फ मोहन पुत्र मांगू जाति बलाई निवासी ग्राम मेंहगी तहसील जमवारामगढ़ (जयपुर)

.... अप्रार्थीगण

(1) पैरोकार सरकार (प्रार्थी)
(2) महेश शर्मा (अप्रार्थी वकील)

P.T.O →

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ (जयपुर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत
धारा 175 राजस्व
भू० रा० अधिनियम 1956

निर्णय   दिनांक 25/1/2018

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ़ जिला जयपुर की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार से है कि ग्राम मेहगी तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर के खसरा नं० 285/1 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा में 1 बीघा 11 बिस्वा भूमि का गलत बेचान होने पर भूमि की खातेदारी निरस्ती कारण हेतु धारा 42 के उल्लंघन होने पर रेफरेन्स अन्तर्गत भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 175 के तहत पेश किया है।

ग्राम मेहगी के खसरा नं० 285 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा का तकासमा होने से 285/1 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा के खातेदार धोडू पुत्र कालू निवासी ग्राम मेहगी के फौत होने पर भागचन्द पुत्र धोडू, धोली पत्नि धोडू है जिसके नवीन खसरा नं० 642/381 रकबा 0.20 हैक्टेयर तथा खसरा नं० 285/2 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा के खातेदार रेवड़ पुत्र रामनारायण व महादेव पुत्र रेवड़ के फौत होने पर पप्पू, रामजीलाल, रमेश, रोशन पुत्रान महादेव गंगा पत्नि महादेव है जिसका नवीन खसरा नं० 643/381 रकबा 0.26 हैक्टे० है

धोडू पुत्र कालू व रेवड़ पुत्र रामनारायण मीना ने खसरा नं० 286 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा में से रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा भूमि दिनांक 29/07/1963 को रामसहाय, मंगला पुत्र मांगू जाति बलाई निवासी ग्राम मेहगी को बेचान कर दी थी।

P.T.O→

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ (जयपुर)

उक्त विक्रय शुदा भूमि का नामान्तरण संख्या-128 क्रेता रामसहाय, मंगला पिता मांगू जाति बलाई के पक्ष में भरा जाकर ग्राम पंचायत मंहगी द्वारा स्वीकृत है किन्तु अवैध बेचान होने से जमाबन्दी में अमल दरामद नहीं किया है।

वर्तमान में उक्त भूमि खाली (पड़त) है प्रकरण में विचाराधीन भूमि का बेचान अनुसूचित जन जाति से अनुसूचित जाति के पक्ष में किया गया है जो धारा 42 का उल्लंघन होने से निरस्तनीय है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मंहगी के खसरा नं० 205/1 व 205/2 के नवीन खसरा नं० 642/361 रकबा 0.28 हैक्टर में से 0.20 हैक्टर, तथा 643/681 रकबा 0.26 हैक्टर में से 0.19 हैक्टर, जो कि अनुसूचित जनजाति से अनुसूचित जाति को बेचान की गई जो धारा 42 के प्रतिबंधित होने से अवैध बेचान की श्रेणी में आती है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित भूमि को राजकीय भूमि घोषित किये जाने हेतु प्रार्थना की।

उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को तलबी जारी की गई। अप्रार्थी नं० 2 की ओर से जवाब पेश हुआ। जिसमें अंकित किया प्रस्तुत प्रार्थना के सभी मदों को अस्वीकार किया है और अंकित किया कि विवादित भूमि का मिन उत्तरदाता के पूर्वाधिकारी ने कभी कोई विक्रय नहीं किया है विक्रय न होने पर धारा 42 का उल्लंघन नहीं हुआ है। राजस्थान सरकार ने प्रार्थना पत्र मिथ्या एवं कपोलकल्पित होकर पेश किया है जो खारिज योग्य है साथ ही अतिरिक्त कथन पेश किया जिसमें अंकित किया कि वादग्रस्त भूमि के खातेदार अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य मिन उत्तरदाता बाद चले आ रहे है

P.T.O.

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ (जयपुर)

100/2017

सरकार बनाम छोटू व अन्य

(4)

जिनके एक अधिकारी स्व० छोटू पुत्र कालू ने दिनांक 29.07.1963 या इससे पूर्व या इसके बाद कोई विक्रय किसी समुदाय को नहीं किया है ना ही कोई विक्रय पत्र पंजीकृत हुआ है। ऐसी स्थिति में तथाकथित नामान्तकरण संख्या 128 प्रारम्भत: शून्य प्रभावी है

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसमें दिनांक 29/7/1963 को अनुसूचित जाति के व्यक्ति के हित में विक्रय होना अंकित किया है जिसके अनुसार 54 वर्ष पश्चात् पेश किया है जो मियाद बाहर है इसलिये प्रार्थना पत्र को खारिज किया जावे।

मिन उत्तरदाता के खातेदारी भूमि का तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा किये गये विधिक तकासमे की कार्यवाही एवं सेटलमेन्ट कार्यवाही एवं सेटलमेन्ट कार्यवाही के तहत नवीन रिकार्ड कायम रखते हुऐ मिन उत्तरदाता के हित में खातेदारी बदस्तूर रखना एवं इसके अलावा छोटू पुत्र कालू की विरासत की कार्यवाही तहसीलदार के अधीनस्थ पटवारी द्वारा मिन उत्तरदाता के हित में निर्विवाद करना एवं उसको ग्राम पंचायत मंडली द्वारा निर्विवाद स्वीकृत मिन उत्तरदाता के हित में खातेदारी अंकित करना इत्यादि कदम कानून से बखूबी स्वमेव ही साबित है।

विवादित भूमि को रामसहाय पुत्र मांगू जाति कुम्हार निवासी मंडली के हित में दिनांक 29/7/1963 को विक्रय होना कथित किया है जबकि मिन उत्तरदाता के हित में छोटू पुत्र कालू का विरासती नामान्तकरण को तथाकथित रामसहाय पुत्र मांगू की पोती हाल सरपंच सुमन देवी मय अन्य ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया है। प्रकरण मिथ्या होकर मात्र खारिज योग्य है।

प्रकरण में उपस्थित उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

P.T.O.

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ (जयपुर)

क्र० 160/2017 सरकार बनाम छोटू व कालू

(5)

पत्रावली में बहस सुनने व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि प्रोसेक्यूटर सरकार के जो प्रार्थना पत्र पेश किया उसमें दिनांक 29/7/1963 को छोटू पुत्र कालू, व भैरव पुत्र रामनारायण मीना ने खसरा नं० 205 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा में से 1 बीघा 11 बिस्वा भूमि का बेचान रामसहाय, मंगला पुत्र मांगू जाति बलाई निवासी ग्राम मंडी को किया जाना बताया है। प्रोसेक्यूटर सरकार के ऐसा कोई विक्रय पत्र जो पंजीबद्ध हुआ हो पेश नहीं किया है। करीब 54 वर्ष बाद प्रकरण को पेश किया है जो अन्दर मियाद भी नहीं है। इसलिये प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 भू-राजस्व अधिनियम 1956 को धारा 42 का उल्लंघन न होना मानते हुए प्रकरण खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद प्रति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ (जयपुर)